न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

कि0 मी0 वाद सं0– /2017

शकुंतला देवी बनाम संजय माझी

धारा 144 द0 प्र0 स0

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3
14/11/17	**आदेश** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एंव अन्य लेखात्मक साक्ष्यो का अवलोकन किया। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि जरमुंडी थाना अंतर्गत मौजा चन्द्रदीप के जमाबंदी सं0 1 दाग सं0 03, स्थित भुमि पर दखल कब्जे को लेकर पक्षकारो के बीच तनाव बना हुआ है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर मै अधाहस्ताक्षरी अनुमंडल दंडाधिकारी, दुमका द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उभय पक्ष को उक्त विवादित भुमि पर जाने से रोकता हूँ तथा उक्त धारान्तर्गत प्रकिया निर्गत करते हुए दोनो पक्षो को आदेश देता हूँ कि दिनांक......26/12/17...... को 10.00 बजे पूर्वा0 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यो नही जारी निषेधाज्ञा संबंधित पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक .... को रखें। लेखापित एवं संशोधित। 14/11.17 अनु0दण्डा0 दुमका। 14/11.17 अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका।	13/12 18
26-12-17	उपाधि का दाखिल है। S/e अप्राप्त, दिनांक 03-01-18 को रखें। [signature]	